भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3925 का उत्तर

रेल भूमि का उपयोग

3925. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-किराया राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक और अन्य उत्पादक उपयोगों के लिए खाली रेल भूमि के पुनर्विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और पूर्ण किए गए, कार्यान्वयनाधीन तथा पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का देश में किफायती रेल यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गैर-एसी और स्लीपर श्रेणियों में अतिरिक्त किफायती ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित मार्गों, ट्रेनों की श्रेणियों और कार्यान्वयन की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेल भूमि पर अवैध अतिक्रमण को रोकने और हटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी रेल भूमि वापस प्राप्त की गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) रेल भूमि विकास प्राधिकरण को अतिरिक्त खाली रेल भूमि जहां भी व्यवहारिक हो, वाणिज्यिक पुनर्विकास के लिए सौंपी जाती है, जिसकी रेलवे को अपनी तात्कालिक परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए ज़रूरत नहीं होती है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ऐसी खाली भूमि का

व्यवहार्यता अध्ययन प्रतिष्ठित वास्तुविद, विपणन और मूल्यांकन सलाहकार के माध्यम से करता है ताकि रेलवे के लिए गैर-दरसूची राजस्व अर्जित करने की व्यावसायिक क्षमता का आकलन किया जा सके। वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम भूमि पट्टों के लिए, खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित की जाती हैं और उच्चतम बोलीदाता को वाणिज्यिक विकास के लिए भूखंड सौंपा जाता है। खाली रेल भूमि का उपयोग रेलवे की परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार बहु-रेलपथन, रेल कारखानों, नए यात्री टर्मिनलों, कार्गो टर्मिनलों आदि जैसे अवसंरचनात्मक विकास कार्यों के लिए भी किया जाता है।

रेलवे नियमित रूप से सर्वेक्षण करती है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती है। झुग्गियों, झोपड़ियों और अवैध कब्ज़ों के रूप में अस्थायी स्वरूप के अतिक्रमण (अस्थायी अतिक्रमण) के मामले में, उन्हें रेल सुरक्षा बल और स्थानीय सिविल अधिकारियों के परामर्श और सहायता से हटाया जाता है। पुराने अतिक्रमणों के लिए, जो पक्की संरचना (स्थायी अतिक्रमण) के रूप में हैं, जहाँ अतिक्रमणकर्ता को समझाना कठिन होता है, वहाँ सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है, के तहत कार्रवाई की जाती है। अप्राधिकृत अधिभोगियों की वास्तविक बेदखली राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन/पुलिस की सहायता से की जाती है। रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है। विगत तीन वर्षों के दौरान लगभग 63.79 हेक्टेयर रेल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है।

स्टेशन पुनर्विकास:

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में भारतीय रेल के स्टेशनों में सुधार करने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है। इस मास्टर योजना में, प्रत्येक स्टेशन पर

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार,
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण,
- स्टेशन भवन में सुधार,
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पानी के बूथ में सुधार,
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/भूमिगत पैदल पार पथ का प्रावधान
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार, प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान,
- पार्किंग क्षेत्र का विकास
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं,
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली,
- एयर कॉन्कोर्स, एग्जीक्यूटिव लाउंज, मल्टीमॉडल एकीकरण, भूसुदर्शनीकरण आदि का प्रावधान शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता और व्यवहार्यता के अनुसार संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1340 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 261 स्टेशनों का कार्य पूरा किया जा चुका है, शेष स्टेशनों पर कार्य निष्पादन/निविदा/मास्टर प्लानिंग तैयार करने का कार्य विभिन्न चरणों में है। पूर्ण हो चुके

स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

ऐशबाग जंक्शन, अलनावर, अंब अंदौरा, अम्बासमुद्रम, अंबिकापुर, आमगांव, आनंदपुर साहिब, अनारा, कलाडी के लिए अंगमाली, अशोकनगर अयोध्या धाम जंक्शन, बछरावाँ, बादामी, बागलकोट, बहेरी, बैजनाथ पपरोला, बालाघाट, बलांगीर, बालोद, बलरामपुर, बनमनखी, बंतावाला, बाराभूम, बारामती, बरेली सिटी, बारीपदा, बाड़मेर, बरपाली, बेगमपेट, ब्योहारी, भक्तिनगर, भानुप्रतापपुर, भिलाई, भिंड, बिजनौर, बिमलगढ़, बोम्मिडी, बूंदी, भायखला, चाईबासा, चालकुडी, चंपा, चंदा फोर्ट, चाण्डिल, चंगनास्सेरी, चेन्नै पार्क, छिंदवाड़ा, चिदंबरम, चिंचपोकली, चिन्नसेलम, चिरयिनकीष़, चुनार जंक्शन, कुन्नूर, कुंबुम, कटक, डाकोर, डालीगंज, दल्लीराझरा, दौरम मधेपुरा, दौसा, डीग, डेरोल, देशनोक, देवलाली, धामपुर, धारवाड़, धुले, दीघा, डोंगरगढ़, एलुरु, फतेहाबाद, फतेहनगर, फतेहपुर, फतेहपुर शेखावाटी, फेरोक, गडग, गंगापुर सिटी, गड़बेत्ता, गौरीगंज, गिरिडीह, गोड्डा, गोधरा जंक्शन, गोगामेड़ी, गोकक रोड, गोला गोकर्णनाथ, गोमतीनगर, गोटन, गोवर्धन, गोविंद गढ़, गोविंदपुर रोड, गोविंदपुरी, गुरूवायूर, हफिजपेट, हैबरगांव, हल्दिया, हल्दीबाड़ी, हापा, हरपालपुर, हर्रावाला, हाथरस सिटी, हाई-टेक सिटी, हिमायतनगर, होडल, होसपेट, ईदगाह आगरा जंक्शन, इज्जतनगर, जैसलमेर, जालंधर कैंटोनमेंट जं., जलपाईगुड़ी रोड, जाम जोधपुर, जाम वनथली, जनगांव, जींद जं., जॉयचंदी पहाड़ जंक्शन, जुन्नोर देव, कहलगांव, काकीनाडा टाउन जंक्शन, कालका, कल्याणी घोषपारा, कामाख्यागुड़ी, कनालुस जंक्शन, कारैक्कुडि जंक्शन, करमसद, करीमनगर, कटनी साउथ, कतरासगढ़, केडगांव, केसिंगा, खैरथल, खलीलाबाद, खंभालिया, खरियार रोड़, कोप्पल, कोसंबा जंक्शन, कोटद्वार, कुलितुरई, कुट्टिपुरम, लासलगांव, लिम्बडी, लोहरदगा, लोनांद जंक्शन, मधुपुर जंक्शन, महबूबाबाद, माहे, महुवा, मैलानी जंक्शन, माजबाट, मल्कापुर, मांबलम, मणप्पारै, मंडल गढ़, मंडावर महवा रोड, मंडी डबवाली, मंगलागिरी, मन्नारगुडी, माटुंगा, मावेलिक्करा, एमसीएस छतरपुर, मीठापुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मोरप्पुर, मोरबी, मुक्तसर, मुनिराबाद, मुरी जंक्शन, मुर्तिजापुर जंक्शन, नैनपुर जंक्शन, नमक्कल, नंदुरा, नर्मदापुरम, नरवाना जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, निदादावोलू जंक्शन, नीलांबुर रोड, ओखा, ओरई, ओरछा, पाकुड़, पलनि, पालीताना, पानागढ़,

पनकी धाम, परमक्कुडी, परप्पनंगडी, परेल, परलाखेमुंडी, फाफामऊ जं., पीरपैंती, पिस्का, पुखरायाँ, पोल्लाच्चि जंक्शन, पोलूर, पोरबंदर, प्रतापनगर, प्रयाग जं., राजनांदगांव, राजगढ़, राजमहल, राजुला जंक्शन, रामागुंडम, रामगढ़ कैंटोनमेंट, रामघाट हाल्ट, रानिबेन्नूर, रायनपाडु, सबौर, सहारनपुर जंक्शन, साहिबगंज, सलेमपुर, समखियाली, समलपट्टी, सांची, शंकरपुर, सरोना, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, सावदा, सिवनी, शहाद, शाजापुर, शामली, शिवनारायणपुर, शिवपुरी, शोलावंदन, षोरणूर जंक्शन, श्रीधाम, सिद्धार्थ नगर, सीहोर जंक्शन, सिमुलतला, सिउरी, सोजत रोड, सोमेसर, श्री बाला ब्रह्मेश्वर जोगुलम्बा, श्रीरंगम, श्रीविल्लिपुत्तूर, सेंट थॉमस माउंट, सुब्रह्मण्य रोड, सुल्लुरपेटा, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छापिया, तालचेर, तामलुक, टनकपुर, थालास्सेरी, थावे, थिरुवरूर जंक्शन, टीकमगढ़, तिरूर, तिरूवण्णामलै, त्रिपुनिथुरा, टूनी, उदगमंडलम, उझानी, उरकुरा, उतरन, वडकारा, वडाला रोड, विदिशा, विंध्याचल, वृद्धाचलम जंक्शन, वडकांचेरी, वारंगल।

अन्य स्टेशनों पर विकास के कार्यकलाप भी तीव्र गति से शुरू किए गए हैं और कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार है:

- भुवनेश्वर स्टेशन: पश्चिम और पूर्व की ओर नए स्टेशन भवन, एयर कॉनकोर्स, पश्चिम और पूर्व की तरफ एलिवेटेड ड्राइववे और ऊपरी पैदल पार पुल के विस्तार का कार्य पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार, परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्लेटफॉर्म शेल्टर, लिफ्ट और एस्केलेटर का कार्य शुरू किया गया है।
- छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन: नए डाकघर भवन और पार्सल कार्यालय, उत्तर की ओर रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के नए भवन का कार्य पूरा हो चुका है। दक्षिण की ओर नए आगमन और प्रस्थान भवन, नया प्रतीक्षालय, शौचालय, एयर कॉनकोर्स, 6 मीटर चौड़ा ऊपरी पैदल पार पुल, छत, उत्तर और दक्षिण की ओर नए भूमिगत टैंक, उत्तर और दक्षिण की ओर नए सीवेज उपचार संयंत्र, नए विद्युत उप-स्टेशन भवन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

- **गया स्टेशन: द्वितीय प्रवेश द्वार पर नए आगमन भवन का कार्य पूरा हो चुका है। द्वितीय प्रवेश द्वार पर नए प्रस्थान भवन, मुख्य प्रवेश द्वार पर नए आगमन और प्रस्थान भवन, नया प्लेटफॉर्म सं. 8, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, एयर कॉनकोर्स और परिचलन क्षेत्र के सुधार का कार्य शुरू किया गया है।**
- **नागपुर जं. स्टेशन: यात्री आरक्षण प्रणाली भवन और बुकिंग कार्यालयों के स्थान परिवर्तन का कार्य तथा मुख्य प्रवेश द्वार की ओर पार्किंग में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। नए प्रशासनिक भवन का निर्माण, मुख्य प्रवेश द्वार की ओर प्रस्थान भवन और बेसमेंट पार्किंग का कार्य, दूसरे प्रवेश द्वार की ओर प्रस्थान भवन और एकीकृत बेसमेंट का निर्माण, नए एयर कॉनकोर्स, प्लेटफॉर्म 8 पर प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का कार्य शुरू किया गया है।**
- **रामेश्वरम स्टेशन: मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स भवन को विश्रामालयों में परिवर्तित करने, पूर्वी और उत्तरी टर्मिनल भवन के संरचनात्मक कार्य, पार्सल कार्यालय, प्रस्थान फोरकोर्ट, आगमन फोरकोर्ट, सबस्टेशन भवन और सीवेज उपचार संयंत्र के कार्य पूरे हो चुके हैं। पूर्वी टर्मिनल भवन, उत्तरी टर्मिनल भवन का परिष्करण, प्रस्थान फोरकोर्ट, सीवेज उपचार संयंत्र, आगमन फोरकोर्ट, प्लेटफॉर्म शेल्टर और प्रतीक्षालय के सुधार के कार्य शुरू किए गए हैं।**
- **तिरुपति स्टेशन: दक्षिण की ओर नए स्टेशन भवन (जी+3+बेसमेंट) का संरचनात्मक कार्य, उत्तर की ओर नए स्टेशन भवन के संरचनात्मक कार्य, एयर कॉनकोर्स, भूमिगत और ओवरहेड पानी की टंकियाँ, सीवेज उपचार संयंत्र, वर्षा जल संचयन, ऊपरी सड़क पुल के लिए रैंप, लिफ्ट और एस्केलेटर का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन का परिष्करण, संपर्क पुल, पहुंच मार्ग और प्लेटफॉर्म शेल्टर के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में निर्माण कार्य आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता के अध्यधीन और निधियों की उपलब्धता के अनुसार शुरू किए जाते हैं। स्टेशन का

विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण स्टेशन की कोटि/अवस्था/यातायात संभलाई आदि के आधार पर किया जाता है।

अवातानुकूलित (साधारण एवं शयनयान सवारी डिब्बे):

अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, भारतीय रेल ने साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए सुविधाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। केवल वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही, साधारण श्रेणी के कम से कम 4 सवारी डिब्बों वाली लंबी दूरी की विभिन्न गाड़ियों में 1250 साधारण सवारी डिब्बों का उपयोग किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2025-26 के दौरान 160 साधारण श्रेणी सवारी डिब्बों सहित लगभग 870 सवारी डिब्बों का उपयोग स्थायी संवर्धन के लिए किया गया है।

निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों की यात्रा संबंधी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेल ने अगले पांच वर्षों के दौरान 17,000 अवातानुकूलित सवारी डिब्बों (साधारण/शयनयान) का विनिर्माण करने का कार्य शुरू कर दिया है।

भारतीय रेल पर, अवातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रतिशत लगभग 70% है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1: सवारी डिब्बों का वितरण:

अवातानुकूलित सवारी डिब्बे (साधारण और शयनयान)	**~62,000**	**~70%**
वातानुकूलित सवारी डिब्बे	**~27,000**	**~30%**
कुल सवारी डिब्बे	**~89,000**	**100%**

तालिका 2: सीटों का वितरण:

अवातानुकूलित सीटें	**~54 लाख**	**~78%**
वातानुकूलित सीटें	**~15 लाख**	**~22%**
कुल सीटें	**~69 लाख**	**100%**

तालिका 3: साधारण/अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्री:

वर्ष	यात्रियों की संख्या
2020-21	99 करोड़ (कोविड वर्ष)
2021-22	275 करोड़ (कोविड वर्ष)
2022-23	553 करोड़
2023-24	609 करोड़
2024-25	651 करोड़
2025-26	681 करोड़

इसके अलावा, साधारण और अवातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अधिक एकोमोडेशन प्रदान करने के लिए, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संरचना संबंधी मौजूदा नीति में 22 सवारी डिब्बों वाली एक गाड़ी में 12 (बारह) साधारण श्रेणी और शयनयान श्रेणी अवातानुकूलित सवारी डिब्बे और 8 (आठ) वातानुकूलित सवारी डिब्बे का प्रावधान है, जिससे साधारण और अवातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए अधिक एकोमोडेशन प्राप्त हो सके।

इसके अलावा, अनारक्षित एकोमोडेशन का लाभ उठाने के इच्छुक यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल किफायती यात्रा हेतु अनारक्षित अवातानुकूलित यात्री गाड़ियां/एमईएमयू/ईएमयू आदि परिचालित करती है, जो मेल/एक्सप्रेस सेवाओं में उपलब्ध अनारक्षित एकोमोडेशन (सवारी डिब्बों) के अतिरिक्त हैं।

स्पेशल गाड़ियां

भारतीय रेल त्यौहारों, छुट्टियों आदि के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने और नियमित सेवाओं द्वारा उपलब्ध एकोमोडेशन के अलावा अतिरिक्त एकोमोडेशन उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल गाड़ी सेवाएं भी परिचालित करती है।

तदनुसार, भारतीय रेल नेटवर्क में स्पेशल गाड़ियों की संख्या गर्मियों/सर्दियों की छुट्टियों, होली, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, क्रिसमस, सबरीमाला, ईद-उल-फितर आदि जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए परिचालित की गई है, जो निम्नानुसार है:

वर्ष	फेरों की संख्या
2023-24	~40,500
2024-25	~85,400
2025-26	~80,500

निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को किफायती यातायात साधन उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रेल ने अमृत भारत सेवाएँ प्रारम्भ की हैं, जो पूर्णतः अवातानुकूलित आधुनिक रेलगाड़ियां हैं। वर्तमान में, अमृत भारत में 11 साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बे, 8 शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बे, 1 रसोई-यान और 2 द्वितीय श्रेणी सामान सह दिव्यांगजन सवारी डिब्बे शामिल हैं।

उच्च गति और उन्नत संरक्षा मानक इस रेलगाड़ी की पहचान हैं, जिसमें निम्नलिखित उन्नत विशेषताएं और सुविधाएं हैं:

- वंदे भारत स्लीपर के समान उन्नत रूप और अनुभव के साथ सीट और बर्थ का बेहतर सौंदर्यीकरण।
- झटका मुक्त सेमी-ऑटोमेटिक कपलर्स।
- क्रैश ट्यूब के प्रावधान से सवारी डिब्बों में बेहतर क्रैशवर्दीनैस।
- सभी सवारी डिब्बों और सामान कक्ष में सीसीटीवी प्रणाली का प्रावधान।
- शौचालयों के बेहतर डिज़ाइन।
- बर्थ पर आसानी से चढ़ने के लिए सीढ़ी की बेहतर डिज़ाइन।
- बेहतर एलईडी लाइट फिटिंग और चार्जिंग सॉकेट।

- **ईपी सहायता प्राप्त ब्रेकिंग प्रणाली का प्रावधान।**
- **शौचालयों और इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स में एरोसोल आधारित अग्निशमन प्रणाली।**
- **यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट।**
- **यात्री और गार्ड/रेलगाड़ी प्रबंधक के बीच पारस्परिक संप्रेषण के लिए आपातकालीन टॉक-बैक प्रणाली।**
- **उन्नत तापन क्षमता वाला अवातानुकूलित रसोईयान।**
- **आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए त्वरित निस्तारण तंत्र के साथ पूर्ण रूप से सीलबंद गैंगवे।**

05.08.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल नेटवर्क पर निम्नलिखित 36 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ी सेवाएं परिचालित की जा रही हैं:

क्र.सं.	गाड़ी संख्या और नाम
1	11015/11016 लोकमान्य तिलक (टी) - सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस
2	13697/13698 गया - दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
3	15293/15294 मुजफ्फरपुर - चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
4	15557/15558 दरभंगा - आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस
5	15561/15562 दरभंगा - गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस
6	15567/15568 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस
7	22361/22362 राजेंद्रनगर (टी) - नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
8	13433/13434 एसएमवीटी बेंगलुरु - मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस
9	13435/13436 मालदा टाउन - गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस
10	15133/15134 छपरा - आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस
11	14047/14048 सीतामढ़ी - दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
12	14627/14628 सहरसा - छैहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस

13	19623/19624 मदार - दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस
14	16601/16602 ईरोड - जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस
15	19021/19022 उधना - ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस
16	15671/15672 कामाख्या - रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस
17	20609/20610 न्यू जलपाईगुड़ी - तिरुच्चिराप्पल्लि अमृत भारत एक्सप्रेस
18	16597/16598 एसएमवीटी बेंगलुरु - अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस
19	11031/11032 पनवेल - अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस
20	16107/16108 ताम्बरम - सांतरागाछि अमृत भारत एक्सप्रेस
21	13065/13066 हावड़ा - आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस
22	22587/22588 सियालदह - बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस
23	20603/20604 न्यू जलपाईगुड़ी - नागरकोविल अमृत भारत एक्सप्रेस
24	15949/15950 डिब्रूगढ़ - गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस
25	16121/16122 ताम्बरम - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल अमृत भारत एक्सप्रेस
26	16329/16330 नागरकोविल - मंगलूरू अमृत भारत एक्सप्रेस
27	17041/17042 चर्लपल्ली - तिरुवनंतपुरम नॉर्थ अमृत भारत एक्सप्रेस
28	16619/16620 पोत्तनूर - धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस
29	16357/16358 नागरकोविल - चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
30	15673/15674 चर्लपल्ली - कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस
31	17065/17066 चर्लपल्ली - शालिमार अमृत भारत एक्सप्रेस
32	22589/22590 बनारस - हडपसर अमृत भारत एक्सप्रेस
33	22111/22112 लोकमान्य तिलक (टी) - अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस
34	14663/14664 अमृतसर - न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस
35	19725/19726 खातीपुरा - दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस
36	11431/11432 पुणे - दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस

इसके अलावा, विभिन्न मार्गों/खंडों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमृत भारत सेवाओं सहित नई रेलगाड़ी सेवाएँ शुरू करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **संबंधित रेलखंड की क्षमता**
- **पथ की उपलब्धता**
- **आवश्यक चल स्टॉक की उपलब्धता**
- **चल स्टॉक के लिए समान अवसंरचना की उपलब्धता**
- **रेलपथ और अन्य परिसंपत्तियों की अनुरक्षण आवश्यकता**
- **रेलखंड की अधिभोगिता और यातायात आवश्यकता।**
